प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001

Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

26 दिसंबर 2024

वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दायित्वपूर्ण और नैतिक सक्षमता (एफआरईई) के लिए रूपरेखा - समिति का गठन

06 दिसंबर 2024 के मौद्रिक नीति वक्तव्य के साथ जारी विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य के भाग के रूप में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दायित्वपूर्ण और नैतिक सक्षमता(FREE-AI) के लिए एक रूपरेखा तैयार करने हेतु एक समिति के गठन की घोषणा की गई थी।

2. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने निम्नलिखित संरचना के साथ FREE-AI पर समिति का गठन किया है:

क्रम सं.	नाम	अध्यक्ष/ सदस्य
i)	डॉ. पुष्पक भट्टाचार्य, प्रोफेसर, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी बॉम्बे	अध्यक्ष
ii)	सुश्री देबजानी घोष, प्रतिष्ठित सदस्य, नीति आयोग ; रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब की स्वतंत्र निदेशक; तथा नैसकॉम की पूर्व अध्यक्ष	सदस्य
iii)	डॉ. बलरामन रविन्द्रन, प्रोफेसर एवं प्रमुख, वाधवानी स्कूल ऑफ डेटा साइंस एंड एआई, आईआईटी मद्रास	सदस्य
iv)	श्री अभिषेक सिंह, अवर सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	सदस्य
v)	श्री राहुल मथान, पार्टनर, ट्राईलीगल	सदस्य
vi)	श्री अंजनी राठौर, ग्रुप हेड एवं चीफ डिजिटल एक्सपीरियंस ऑफिसर, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	सदस्य
vii)	श्री श्री हरि नागरालु, सिक्यूरिटी एआई रिसर्च के प्रमुख, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया (आर एंड डी)	सदस्य
viii)	श्री सुवेंदु पति, मुमप्र, फिनटेक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक	सदस्य सचिव

3. फिनटेक विभाग, केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक इस समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करेगा। समिति आवश्यकतानुसार परामर्श और/या अपने विचार-विमर्श में भाग लेने के लिए डोमेन विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों, आरबीआई के विभागों और अन्य हितधारकों को भी आमंत्रित कर सकती है।

4. समिति के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:
(i) वैश्विक स्तर पर और भारत में वित्तीय सेवाओं में एआई को अपनाने के वर्तमान स्तर का आकलन करना।

(ii) वैश्विक स्तर पर वित्तीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए एआई पर विनियामक और पर्यवेक्षी दृष्टिकोण की समीक्षा करना।

(iii) एआई से जुड़े संभावित जोखिमों, यदि कोई हो, की पहचान करना तथा बैंकों, एनबीएफसी, फिनटेक, पीएसओ आदि सहित वित्तीय संस्थानों के लिए मूल्यांकन, शमन और निगरानी ढांचे और परिणामी अनुपालन आवश्यकताओं की अनुशंसा करना।

(iv) भारतीय वित्तीय क्षेत्र में एआई मॉडल/ एप्लिकेशनों को दायित्वपूर्वक, नैतिक रूप से अपनाने के लिए अभिशासन पहलुओं सहित एक रूपरेखा की अनुशंसा करना।

(v) भारतीय वित्तीय क्षेत्र में एआई से संबंधित कोई अन्य मामला।

समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1779